Before the Board of Revenue, Bhopal Division, District Bhopal.

Revenue Revision No. -. . . . . /2014.

निगरानी 196-PBR-15

1. Smt. Shahnaz Khan,
   W/o Akbar Ali Khan,
   Aged about 45 years,
   R/o H.No.-01, Dhobi Wali Gali,
   Budhwara, Bhopal.
2. Anil Gupta,
   S/o Shri S.K. Gupta,
   Aged about 41 years,
   R/o H.No.-51, Kotwali Road,
   Bhopal and
   Proprietor of M/S Swastik
   Builders & Infra Developers,
   Office at 48, Zone-I, M.P. Nagar,
   Bhopal. --- **Applicants**

Vs.

State of Madhya Pradesh,
Through Collector Bhopal. --- **Non-applicant**

Revision under Section 50 of M.P. Land Revenue Code, 1959 arising out from the Order dated 15-12-2011 passed

781 D. appeal

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 196–पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–4–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर तहसीलदार वृत 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 2–1–15 को लगभग 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण दिनांक 16–12–2014 को खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने पर आदेश की जानकारी होना दर्शाया गया है । परन्तु यह नहीं बतलाया गया है कि उन्हें दिनांक 16–12–2014 को खसरे की सत्यप्रतिलिपि की आवश्यकता किन कारणों से हुई । इसके अतिरिक्त आवेदकगण को दिनांक 16–12–2014 को खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हो गई थी, इसके बावजूद भी निगरानी दिनांक 2–1–15 को लगभग 15 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई है, जबकि निगरानी प्रस्तुत करने में पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो गया था, तब उन्हें खसरे की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–12–11 को आवेदकगण के प्रकरण में आदेश पारित नहीं करते हुए सामूहिक आदेश पारित किया गया है । अतः प्रथम दृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने एवं विधि के प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	